सं. 9/44/2006-बीपी एंड एल

भारत सरकार

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

.....

दिनांक : 5 अक्तूबर, 2009

सेवा में,

1. सभी प्राधिकृत एमएसओ
(संलग्न सूची के अनुसार)

2. एमएसओ संघ, आईएन केन्द्र, 49/50 एमआईडीसी
12वां रोड, अंधेरी (ई), मुम्बई-400093

3. भारतीय केबल ऑपरेटर परिसंघ (सीओएफआई)

विषय : देश के एमएसओ/केबल ऑपरेटरों द्वारा अवैध और अप्राधिकृत चैनलों को प्राप्त करना – इनके संबंध में सलाह के रूप में।

महोदय/महोदया,

मुझे उपर्युक्त विषय का उल्लेख करने तथा यह कहने का निदेश दिया गया है कि इस मंत्रालय को एमएसओ तथा केबल ऑपरेटरों द्वारा अपनी केबल टीवी नेटवर्क सेवा में अप्राधिकृत टीवी चैनलों को प्राप्त करने के संबंध में शिकायतें मिलती रही हैं। इस संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि केबल टीवी नेटवर्क नियमावली, 1994 के नियम 6(6) के अनुसार केवल ऑपरेटर अपने केबल टीवी नेटवर्क में केवल उन चैनलों को शामिल कर सकते हैं जो इस मंत्रालय के साथ डाऊनलिंक करने संबंधी नीति दिशानिर्देशों के तहत पंजीकृत हैं। इस प्रकार सरकार के डाऊनलिंक करने संबंधी नीति दिशानिर्देशों के तहत पंजीकृत न किए गए किसी चैनल को शामिल करना अवैध है और क्रमश: केबल टीवी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली, 1994 की धारा 5 और नियम 6(6) का उल्लंघन है।

2. इस मंत्रालय ने अवैध चैनलों को शामिल किए जाने पर गंभीर रूप से ध्यान दिया है। मंत्रालय समय-समय पर उक्त नीति दिशानिर्देशों के तहत पंजीकृत चैनलों की सूची को अपनी वेबसाइट (www.mib.nic.in) पर अद्यतन करता रहता है। इस प्रकार किसी चैनल को प्रसारित करने से पहले सभी उपलब्ध स्रोतों से यह सुनिश्चित करने का कर्त्तव्य एमएसओ/केबल ऑपरेटर का है कि वह यह ध्यान रखे कि वह चैनल टीवी चैनलों को डाऊनलिंक करने के नीति दिशानिर्देशों के तहत सरकार के साथ पंजीकृत है। आपको सलाह दी जाती है कि इस प्रकार के चैनल के प्रसारण/हस्तांतरण/पुनः प्रसारण यदि कोई हो, को तत्काल बंद कर दिया जाए।

3. इसलिए सभी एमएसओ/केबल ऑपरेटरों को एतद्द्वारा यह सलाह दी जाती है कि उनके द्वारा अथवा उनकी केबल टीवी सेवाओं में उनके केबल ऑपरेटरों द्वारा शामिल किए जा रहे/शामिल किए जाने वाले प्रस्तावित चैनलों के पंजीकरण के बारे में सभी उपलब्ध स्रोतों से सुनिश्चित करें जिसके न करने पर दोषी केबल ऑपरेटरों/एमएसओ के विरूद्ध केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कठोर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

4. इसे सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुमोदन से जारी किया गया है।

भवदीय,

(अरविंद कुमार)
निदेशक (बीपी एंड एल)
टेलीफोन : 23381863